निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक : C-649 /बा0वि0परि0/लेखा/2016-17 दिनांक : 19 जुलाई, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या 1884/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-II दिनांक 17.06.2016 तथा शासनादेश संख्या 1885/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-II दिनांक 17.06.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर क्रमशः गर्भवती महिलाओं तथा अतिकुपोषित बच्चों के पोषण हेतु हौसला पोषण-योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कतिपय जनपदों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भोजन बनाने हेतु बर्तन आदि की व्यवस्था, हौसला पोषण याजना फीडिंग कार्यक्रम हेतु केन्द्रों पर वॉल राइटिंग एवं पी0सी0डी0एफ0 द्वारा होल मिल्क पाउडर तथा देसी घी की आपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1884/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-II दिनांक 17.06.2016 के प्रस्तर 3.7 में यह स्पष्ट किया गया है कि भोजन बनाने हेतु समस्त केन्द्रों पर बर्तन आदि की व्यवस्था आंगनबाड़ी द्वारा की जायेगी। शासनादेश के प्रस्तर 3.11 में हौसला पोषण योजना फीडिंग कार्यक्रम हेतु केन्द्रों पर वॉल राइटिंग कराये जाने की व्यवस्था उल्लिखित है। शासनादेश के प्रस्तर 3.5(6) में जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पी0सी0डी0एफ0 से प्रत्येक माह मांग एवं अग्रिम भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ही शासनादेश संख्या 45/2016/2072/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनांक 12 जुलाई, 2016 द्वारा गर्भवती महिलाओं हेतु फीडिंग कार्यक्रम हेतु तथा शासनादेश संख्या 46/2016/2073/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनांक 12 जुलाई, 2016 द्वारा अतिकुपोषित बच्चों हेतु फीडिंग कार्यक्रम हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति की गयी थी जिसके क्रम में समस्त जनपदों को उक्त योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की गयी है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उक्त कार्यक्रम के लिए भोजन बनाने हेतु समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बर्तन आदि की व्यवस्था के लिए रू0 1500.00 उक्त कार्यक्रम हेतु शासनादेश संख्या 1884/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-II दिनांक 17.06.2016 के प्रस्तर 3.32 के अन्तर्गत खोले गये बचत खाते में, जिसका संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा, में हस्तांतरित किया जायेगा। आंगनबाड़ी केन्द्र पर ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिलकर आवश्यकतानुसार बर्तन का क्रय करेंगे। इसी प्रकार वॉल राइटिंग के लिए रू0 250.00 प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति की गयी है जिससे केन्द्र पर उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार वॉल राइटिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री करायेंगे।

जहाँ तक देसी घी व होल मिल्क पाउडर के भुगतान का प्रश्न है शासनादेश दिनांक 17.06.2016 में स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में पी0सी0डी0एफ0 को अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे। मांग के आधार पर एक माह के अग्रिम का भुगतान भी उपलब्ध कराया जायेगा। होल मिल्क पाउडर ओर देसी घी का मूल्य चूंकि गर्भवती महिलाओं के लिए भोजन आदि की दर रू0 18.00 प्रतिदिन एवं अतिकुपोषित बच्चों के लिए भोजन की दर रू0 13.00 प्रतिदिन में शामिल है इसलिए उक्त धनराशि को जिला स्तर पर घटाकर भोजन के लिए अवशेष अग्रिम

की धनराशि को आंगनबाड़ी केन्द्र पर हौसला पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले खातों में हस्तांतरित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या सी-172 दिनांक 11.07.2016 के संलग्नक के अनुसार जनपदवार योजना के आरम्भ की तिथि निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1884/60-2-16-2/3(1)/ 12 टी0सी0-।। दिनांक 17.06.2016, शासनादेश संख्या 1885/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-।। दिनांक 17.06.2016, शासनादेश संख्या 45/2016/2072/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनांक 12 जुलाई, 2016, शासनादेश संख्या 46/2016/2073/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनांक 12 जुलाई, 2016 तथा शासनादेश संख्या सी-172 दिनांक 11.07.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन सं0 सी- /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. योजना अधिकारी, मुख्यालय।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक : /बा0वि0परि0/लेखा/2016-17 दिनांक : 19 जुलाई, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या 1884/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-।। दिनांक 17.06.2016 तथा शासनादेश संख्या 1885/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-।। दिनांक 17.06.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर क्रमशः गर्भवती महिलाओं तथा अतिकुपोषित बच्चों के पोषण हेतु हौसला पोषण-योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कतिपय जनपदों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भोजन बनाने हेतु बर्तन आदि की व्यवस्था, हौसला पोषण याजना फीडिंग कार्यक्रम हेतु केन्द्रों पर वॉल राइटिंग एवं पी0सी0डी0एफ0 द्वारा होल मिल्क पाउडर तथा देसी घी की आपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1884/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-।। दिनांक 17.06.2016 के प्रस्तर 3.7 में यह स्पष्ट किया गया है कि भोजन बनाने हेतु समस्त केन्द्रों पर बर्तन आदि की व्यवस्था आंगनबाड़ी द्वारा की जायेगी। शासनादेश के प्रस्तर 3.11 में हौसला पोषण योजना फीडिंग कार्यक्रम हेतु केन्द्रों पर वॉल राइटिंग कराये जाने की व्यवस्था उल्लिखित है। शासनादेश के प्रस्तर 3.5(6) में जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पी0सी0डी0एफ0 से प्रत्येक माह मांग एवं अग्रिम भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ही शासनादेश संख्या 45/2016/2072/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनॉक 12 जुलाई, 2016 द्वारा गर्भवती महिलाओं हेतु फीडिंग कार्यक्रम हेतु तथा शासनादेश संख्या 46/2016/2073/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनॉक 12 जुलाई, 2016 द्वारा अतिकुपोषित बच्चों हेतु फीडिंग कार्यक्रम हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति की गयी थी जिसके क्रम में समस्त जनपदों को उक्त योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की गयी है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उक्त कार्यक्रम के लिए भोजन बनाने हेतु समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बर्तन आदि की व्यवस्था के लिए रू0 1500.00 उक्त कार्यक्रम हेतु शासनादेश संख्या 1884/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-।। दिनॉक 17. 06.2016 के प्रस्तर 3.32 के अन्तर्गत खोले गये बचत खाते में, जिसका संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा, में हस्तांतरित किया जायेगा। आंगनबाड़ी केन्द्र पर ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिलकर आवश्यकतानुसार बर्तन का क्रय करेंगे। इसी प्रकार वॉल राइटिंग के लिए रू0 250.00 प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति की गयी है जिससे केन्द्र पर उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार वॉल राइटिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री करायेंगे।

जहाँ तक देसी घी व होल मिल्क पाउडर के भुगतान का प्रश्न है शासनादेश दिनॉक 17.06.2016 में स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में पी0सी0डी0एफ0 को अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे। मांग के आधार पर एक माह के अग्रिम का भुगतान भी उपलब्ध कराया जायेगा। होल मिल्क पाउडर और देसी घी का मूल्य चूंकि गर्भवती महिलाओं के लिए भोजन आदि की दर रू0 18.00 प्रतिदिन एवं अतिकुपोषित बच्चों के लिए भोजन की दर रू0 13.00 प्रतिदिन में शामिल है इसलिए उक्त धनराशि को जिला स्तर पर घटाकर भोजन के लिए अवशेष अग्रिम

की धनराशि को आंगनवाड़ी केन्द्र पर हौसला पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले खातों में हस्तांतरित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या सी-172 दिनाँक 11.07.2016 के संलग्नक के अनुसार जनपदवार योजना के आरम्भ की तिथि निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1884/60-2-16-2/3(1)/ 12 टी0सी0-।। दिनाँक 17.06.2016, शासनादेश संख्या 1885/60-2-16-2/3(1)/12 टी0सी0-।। दिनाँक 17.06.2016, शासनादेश संख्या 45/2016/2072/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनाँक 12 जुलाई, 2016, शासनादेश संख्या 46/2016/2073/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनाँक 12 जुलाई, 2016 तथा शासनादेश संख्या सी-172 दिनाँक 11.07.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन सं0 सी- 649 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. योजना अधिकारी, मुख्यालय।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक